


कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 1

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा का संरचनात्मक ढाँचा



कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकार				
क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतन	कार्य / उत्तरदायित्व
1	श्रीमति माया त्रिपाठी	उप संचालक	21780	सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं का जिले में क्रियान्वयन
2	श्रीमति डी०उपाध्याय	मुख्य लिपिक सहलेखापाल	16110	स्थापना / लेखा / वित्त
3	श्री शरद कुमार पाठक	सहायक ग्रेड-2	9890	सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्रियान्वयन
4	श्री एन०के०जैन	सहायक ग्रेड-3	10990	जिला पंचायत में पंचायत प्रकोष्ठ का संचालन
5	श्री पवन कुमार किरार	सहायक ग्रेड-3	6150	निःशक्त कल्याण ,समाज कल्याण ,सुधारात्मक सेवाएँ ,नशाबंदी अन्य कार्यक्रम
6	श्रीमति कष्णाबाई तिवारी	भृत्य	6880	जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र हरदा में कार्यरत
7	श्रीमति अनिता दास	भृत्य	6610	बाल सम्प्रेक्षण गृह एव वृद्धाश्रम भवन में निवासरत महिलाओं की देखरेख
8	श्री मोहन सिंह सोनकिया	भृत्य	5850	डाक वितरण एवं अन्य कार्य
9	श्री भागीरथ प्रसाद शर्मा	भृत्य	5850	कलेक्टर बंगले पर पदस्थ

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 3

सामाजिक न्याय हरदा में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया

- पत्र आवक को पंजीबद्ध करना।
- पत्र आवक होने के पश्चात संबंधित शाखा को उपलब्ध कराना।
- नस्ती पंजीबद्ध करना।
- पंजीबद्ध करने के बाद नस्ती प्रारंभ करना।
- संबंधित को नस्ती प्रस्तुत करना।
- प्रस्तुत पत्र वर्ग प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
- प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत करना एवं निराकृत करना।

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदो

बिन्दु क्रमांक 4

विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के लिये निर्धारित मापदण्ड

क्र०	कार्य / गतिविधि योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न हाने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है	निराकरण की समय सीमा
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत कन्याओं की गृहस्थी हेतु आर्थिक सहायता	उप संचालक सामाजिक न्याय	विवाह आयोजना तिथि के 15 दिवस पूर्व से	कलेक्टर	15 दिवस
2.	शहरी क्षेत्रों में निःशक्तजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	उप संचालक सामाजिक न्याय	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
3.	निःशक्तजन को जारी किये जाने वाला परिचय पत्र	उप संचालक सामाजिक न्याय	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
4.	निःशक्तजन के आर्थिक पुर्नवास हेतु ऋण प्रकरण तैयार करना	सामान्य वर्ग के निःशक्तजनों के प्रकरण उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा म.प्र. विकलांग कल्याण तथा विकास समिति के माध्यम से नेशनल हैन्डीकैप्ट एण्ड हवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन को भेजा जावेगा	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 5

विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध अथवा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में उपयोग किये जा रहे अधिनियम , नियम , मेन्युअल , अभिलेख आदि

क्रं0	विवरण	अधिनियम , नियम , मेन्युअल , अभिलेख
1	अधिनियम	म0प्र0 पंचायतराज अधिनियम
		म0प्र0 पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम
		समान अवसर (अधिकारी संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995
2	नियम	मूलभूत नियम
		म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम
		भण्डार क्रय नियम
		यात्रा भत्ता नियम
3	निर्देश	म0प्र0 वित्तीय संहिता
4	मेन्युअल	सर्विस मेन्युअल
5	आदेश	आयुक्त सामाजिक न्याय भोपाल से प्राप्त

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 6

विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के दस्तावेजो का विवरण

क्रं0	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का वर्गीकरण	अभिलेख की अवधि
1	विभिन्न पंजियाँ	वित्तीय एवं अन्य	केश बुक , वेतन पंजी ,, एवं अन्य पंजियाँ	स्थाई
2	विभिन्न नस्तियाँ	स्थापना, वित्त एवं अन्य	बिलपंजी, बी.टी.आर , भंडार पंजी, अग्रिम कटोत्रा पंजी , स्टाम्प पंजी, आवक-जावक पंजी , नैमित्तिक व्यय पंजी ,	स्थाई

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 7

नीतियों के निर्धारण या उनके क्रियान्वयन में नागरिकों की सहभागिता या उनसे परामर्श के लिए उपलब्ध व्यवस्था का विवरण

- समितियों का नाम
 - ✓ लोकल लेबल कमेटी
 - ✓ जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र चयन समिति
 - ✓ किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का गठन
 - ✓ किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिला स्तर पर सलाहकार समिति का गठन
 - ✓ दीनदयाल अन्त्योदय मिशन अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति
 - ✓ माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का गठन

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 8

विभाग में उपलब्ध ऐसे मण्डल, परिसर या समितियों का विवरण जो दो से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर अथवा उनसे सलाह लेकर कार्य करने के लिए गठित की गई है

1. लोकल लेबल कमेटी नेशनल ट्रस्ट के आदेश क्रमांक/1220/आर.एल.1 ए./2007 नई दिल्ली दिनांक 22 मार्च 2007 द्वारा किया गया है। समिति के सदस्य निम्नानुसार है।

1	कलेक्टर, जिला हरदा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति संध्या पांडे, बालभवन, महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली क्लब के पास इन्दौर (452001)	सदस्य
3.	श्री सुरेश तिवारी, विकलांग बंधु मुकाम पोस्ट भुन्नास	सदस्य

2. निःशक्तजनों के कल्याण एवं विकलांग पुनर्वास केन्द्र हेतु चयन समिति का गठन कलेक्टर, जिला हरदा के आदेश क्रमांक/1184/नि.क./2003 हरदा दिनांक 06/10/2003 को किया गया है। समिति के सदस्य निम्नानुसार है :-

1	कलेक्टर, जिला हरदा	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा (विशेष आमंत्रित सदस्य)	सदस्य
4	उप संचालक, शिक्षा (विशेष आमंत्रित सदस्य)	सदस्य
5	जिला रोजगार अधिकारी (विशेष आमंत्रित सदस्य)	सदस्य
6	डॉ., विकलांगता संघ के विशेषज्ञ (विशेष आमंत्रित सदस्य)	सदस्य
7	अध्यक्ष, एकलव्य संस्था (निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छ संस्थाएं)	सदस्य
8	अध्यक्ष, निरन्तर संस्था (निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छ संस्थाएं)	सदस्य
9	अध्यक्ष, लायन्स क्लब (निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छ संस्थाएं)	सदस्य
10	श्री संतोष छलोत्रे कालघड (विकलांग समिति के दो सदस्य)	सदस्य
11	श्रीमति शारदा मोतीराम पडवा (विकलांग समिति के दो सदस्य	सदस्य
12	उप संचालक सामाजिक न्याय हरदा	सदस्य / सचिव

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 8

3. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के गठन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भोपाल दिनांक 4 मार्च 2008 द्वारा की गई है । समिति के सदस्य निम्नानुसार है :-

1	श्री राजेन्द्र कुमार ,जे.एम.एफ.सी. हरदा	प्रधान मजिस्ट्रेट
1.	डां. विरेन्द्र अग्रवाल (किशोर न्याय बोर्ड)	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्रीमति जयश्री मजुमदार (किशोर न्याय बोर्ड)	सामाजिक कार्यकर्ता
1.	श्री देवेन्द्र दुआ (बाल कल्याण समिति)	अध्यक्ष
2.	श्रीमति चित्रा गद्रे (बाल कल्याण समिति)	सदस्य
3.	श्री राजेश अग्रवाल (बाल कल्याण समिति)	सदस्य
4.	श्री गंगाधर पटेल (बाल कल्याण समिति)	सदस्य
5.	श्रीमति मालती खंडेलवाल (बाल कल्याण समिति)	सदस्य

4. किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसके अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में रहने वाले अतःवासियों के समग्र विकास एवं पुर्नवास की दृष्टि से जिला स्तर पर सलाहकार समिति का गठन आदेश क्रमांक/682/किशोर न्याय/2009-10 हरदा दिनांक 01/05/2010 से किया गया है । समिति के सदस्य निम्नानुसार है :-

1	कलेक्टर ,जिला हरदा	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक ,हरदा	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,हरदा	सदस्य
4.	उप संचालक शिक्षा ,हरदा	सदस्य
5.	सचिव ,रेडक्रास सोसायटी ,हरदा	सदस्य
6.	अध्यक्ष ,लायंस क्लब हरदा	सदस्य
7	(1) श्री मनोहर अग्रवाल हरदा (सामाजिक कार्यकर्ता) (2) श्रीमति मालती खण्डेलवाल (सामाजिक कार्यकर्ता)	सदस्य
8.	श्री विपीन अग्रवाल हरदा (उधोगपति)	सदस्य
9.	(1) श्री घनश्याम दास सोमानी हरदा (दानदाता) (2) श्री राजीव कुमार जैन ,हरदा (दानदाता)	सदस्य
10.	उप संचालक सामाजिक न्याय हरदा	सदस्य / सचिव
11.	संबंधित संस्था का अधीक्षक	सदस्य

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 8

5. दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति का गठन कलेक्टर (पंचायत एवं सामाजिक न्याय) जिला हरदा के पत्र क्रमांक/718/दीनदयाल सोसायटी/2006 हरदा दिनांक 24/04/2006 को किया गया है । समिति के सदस्य निम्नानुसार है :-

1	मान. जिले के प्रभारी मंत्री म0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	पदेन श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला हरदा	सचिव
3.	पदेन मान. सांसद महोदय, बैतूल-हरदा संसदीय क्षेत्र	सदस्य
4.	मान. विधायक विधान सभा क्षेत्र हरदा	सदस्य
5.	मान. विधायक विधान सभा क्षेत्र टिमरनी	सदस्य
6.	मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत हरदा	सदस्य
7.	मान. नगर पालिका परिषद हरदा	सदस्य
8.	जिला पुलिस अधीक्षक हरदा	सदस्य
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा	सदस्य
10	महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा	सदस्य
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा	सदस्य
12	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण हरदा	सदस्य
13	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी हरदा	सदस्य
14	उप संचालक सामाजिक न्याय हरदा	सदस्य
15	श्रीमति सुशीला रानी मोर्य हरदा	मा.प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य
16	श्री रामकृष्ण देवणा हरदा	मा.प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य
17	श्री गजेन्द्र शाह सिराली	मा.प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य
18	श्री सुजीत शर्मा समग्र ग्राम विकास समिति टेमागांव	मा.प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य
19	श्री पुरुषोत्तम पटेल सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान हरदा	मा.प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 8

6. भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के समग्र कल्याण, पुर्नवास एवं वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को समर्थता प्रदान करने वाली व्यवस्था हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2008 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक/1288 दिनांक 22.09.09 से वरिष्ठ नागरिकों की जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नानुसार सदस्य है :-

क	नाम	पद
1.	कलेक्टर जिला हरदा	चेयरपर्सन
2.	पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा	सदस्य
3.	मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा	सदस्य
4.	लायंस क्लब के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह सलूजा	सदस्य
5.	सचिव रेडक्रॉस सोसायटी डॉ. वीरेन्द्र अग्रवाल	सदस्य
6.	सामाजिक कार्यकर्ता :- 1. श्री हरिमोहन शर्मा (वृद्धाश्रम) हरदा 2. श्रीमती शीला अग्निहोत्री, हरदा	सदस्य सदस्य
7.	पेंशनर्स संघ के प्रतिनिधि श्री रमेश पटेल, हरदा	सदस्य
8.	दानदाता :- 1. श्री कुंज बिहारी सोमानी उर्फ शंभू सोमानी, ग्राम पंचायत सिराली तहसील खिरकिया जिला हरदा 2. श्री महेश अग्रवाल, प्रबंधक मैदामिल हरदा	सदस्य सदस्य
9.	उपसंचालक सामाजिक न्याय जिला हरदा	सदस्य-सचिव

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व निवास स्थान

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतन	पता
1	श्रीमति माया त्रिपाठी	उप संचालक	21780	गायत्री मंदिर के पीछे इन्दौर रोड ,हरदा
2	श्रीमति डी०उपाध्याय	मुख्य लिपिक सहलेखापाल	16110	सोनालीका टेक्टर सोरुम के पीछे हरदा
3	श्री शरद कुमार पाठक	सहायक ग्रेड-2	9890	चौबे कालोनी हरदा
4	श्री एन०के०जैन	सहायक ग्रेड-3	10990	श्यामा कालोनी ,हरदा
5	श्री पवन कुमार किरार	सहायक ग्रेड-3	6150	गुर्जर बोडिंग के पीछे हरदा
6	श्रीमति कष्णाबाई तिवारी	भृत्य	6880	सुदामा नगर हरदा
7	श्रीमति अनिता दास	भृत्य	6610	जिला पंचायत भवन हरदा के सामने हरदा
8	श्री मोहन सिंह सोनकिया	भृत्य	5850	खेडीपुरा ,हरदा
9	श्री भागीरथ प्रसाद शर्मा	भृत्य	5850	शासकीय आवास एच/9

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 11

विभाग के बजट आबंटन का विवरण तथा भुगतान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

क्रमांक	योजना का नाम	बजट वर्ष 2010-11	प्रक्रिया
1	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	35.00 लाख	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उप संचालक की स्वीकृति से
2	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	51.23 लाख	उपसंचालक एवं कलेक्टर महोदय की स्वीकृति से
3	निःशक्त छात्रवृत्ति	2.21 लाख	उप संचालक की स्वीकृति से
4.	कृत्रिम अंग सहायक उपकरण	निराश्रित निधि से	उप संचालक एवं कलेक्टर महोदय की स्वीकृति से
5.	वहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित सहायता अनुदान	1.80 लाख	उप संचालक की स्वीकृति से
6.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	निराश्रित निधि से	उप संचालक एवं कलेक्टर महोदय की स्वीकृति से
7.	नशाबंदी	—	उप संचालक की स्वीकृति से
8.	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	निःशक्त छात्रवृत्ति मद से	उप संचालक एवं कलेक्टर महोदय की स्वीकृति से

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 12 एवं 13

रिआयति कार्यक्रमों का विवरण एवं लाभान्वितों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	विभाग का नाम	लाभान्वित वर्ष 2010-11
1	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	सामाजिक न्याय हरदा	1202 हितग्राही
2	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	सामाजिक न्याय हरदा	457 कन्याओं
3	निःशक्त छात्रवृत्ति	सामाजिक न्याय हरदा	506 निःशक्त छात्र/छात्राएँ
4.	कृत्रिम अंग सहायक उपकरण	सामाजिक न्याय हरदा	345 निःशक्तजन
5.	बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन सहायता अनुदान योजना	सामाजिक न्याय हरदा	32 मानसिक / बहुविकलांग
6.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	सामाजिक न्याय हरदा	07 निःशक्त दंपत्ति
7.	नशाबंदी	सामाजिक न्याय हरदा	300 हितग्राही
8.	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	सामाजिक न्याय हरदा	01 हितग्राही

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 14

विभाग के पास उपलब्ध तथा एकत्रित योजनाओं की जानकारी

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरागांधी निःशक्त पेंशन योजना
- इंदिरागांधी विधवा पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- निःशक्त छात्रवृत्ति
- बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त सहायता अनुदान सहायता योजना
- वृद्धाश्रम भवन का संचालन
- किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का संचालन
- जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र का संचालन
- नशाबंदी ,आदि हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
- निःशक्त अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 15

नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें

क्रमांक	उपलब्ध सुविधाएँ	प्रभारी का नाम	समय सीमा एवं दूरभाष क्रमांक
1	सामाजिक न्याय विभाग की समस्त योजनाएँ	श्रीमति माया त्रिपाठी	प्रातः 10.30 बजे से 5:30 बजे तक दूरभाष 07577- 223819 07577-225193

जिला स्तर पर निःशक्तजनों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष क्रमांक

बाल सम्प्रेक्षण गृह हरदा
माया त्रिपाठी
मोबा. 90984-56276
दूरभाष 07577 -223817

सामाजिक न्याय विभाग हरदा
माया त्रिपाठी
मोबा. 90984-56276
दूरभाष 07577-225193 ,223819

जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र हरदा
इन्द्र कुमार मालवीय
अस्थिबाधित आर्थोटेक प्रोस्थोटिक टेकनिशियन
मोबा. 99933,66221

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

बिन्दु क्रमांक 16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

1. नाम – श्रीमति माया त्रिपाठी
2. पदनाम – उप संचालक
3. दूरभाष क्रमांक – 07577-223819 , 07577-225193
4. कार्यालय का पता – कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) हरदा
कमरा नम्बर –19
5. सम्पर्क समय – प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

बिन्दु क्रमांक-17

आम नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी से संपर्क हेतु सप्ताह के प्रति बुधवार समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक समय नियत किया गया है । उनकी अनुपस्थिति में आम नागरिक अपना आवेदन कार्यालय में उपस्थित शाखा निर्वाही/अन्य कर्मचारी को देकर पावती स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं , प्राप्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी के अवलोकन हेतु रखा जावेगा एवं उनके द्वारा दी गई निराकृत तिथि से आवेदक को उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर कराया जावेगा

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा

जिला—हरदा

जिला बेबसाईट अपडेशन के लिये सूचना के अधिकार से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में

वर्ष 2010—2011

दूरभाष—07577—225193

07577—223819

(E-mail address: pswhar@mp.nic.in)

कार्यालय सामाजिक न्याय हरदा, जिला-हरदा

क्रमांक / /सू०का०अधि / 17बिन्दु / 2010-11 हरदा, दिनांक..... / 02 / 2011
प्रति,

कलेक्टर
जिला हरदा

विषय :- जिला बेबसाईट अपडेशन के लिये सूचना के अधिकार की जानकारी के संबंध में ।

संदर्भ :- टी०एल० बैठक दिनांक 08.02.2011 में दिये गये निर्देश ।

—00—

विषयान्तर्गत टी०एल० बैठक दिनांक 08.02.2011 में दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर मय सीडी सहित इस पत्र के संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- हार्डकापी एवं सीडी

उप संचालक
सामाजिक न्याय
जिला-हरदा

पृ०क्रमांक / /सू०का०अधि / 17बिन्दु / 2010-11 हरदा, दिनांक..... / 02 / 2011
प्रतिलिपि :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक
सामाजिक न्याय
जिला-हरदा